हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2013

संख्या सा०का०नि० 11/संवि/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(घ) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा;

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्राय है सरकार द्वारा आयोजित या इसके द्वारा किसी एजेंसी के माध्यम द्वारा आयोजित हरियाणा राज्य लेखा सेवाएं परीक्षा भाग - I तथा II (सामान्य शाखा);

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(छ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था; या

(ii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था;

(ज) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजना के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

(झ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य लेखा (ग्रुप ग) सेवा।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए पद होंगे तथा सेवा के सदस्य उनके सामने वर्णित वेतनमानों में वेतन लेंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अगले पूर्ववर्ती मास के प्रथम दिन को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।